समक्ष श्रीमान राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर कैम्प भोपाल

PBR/निगरानी/भोपाल/भू.रा./2017/4793

निगरानी प्रकरण क्रं.- /पीबीआर/2017

01. श्रीमति ज्योति मित्तल, आयु लगभग 47 वर्ष
पत्नि श्री आलोक मित्तल

02. आलोक मित्तल, आयु लगभग 51 वर्ष
आत्मज श्री रवि प्रकाश
दोनो निवासीगण-ए-6, एम.ए.एन.आई.टी.
भोपाल ....आवेदकगण

विरूद्ध

श्रीमति तुलसी बाई
पत्नि श्री सूरत सिंह
निवासी-ग्राम खजूरीकलां, तहसील हुजूर
जिला भोपाल ....अनावेदक

<u>निगरानी अंतर्गत धारा-50 म.प्र. भू-राजस्व संहिता विरूद्ध प्रत्यावर्तन आदेश दिनांक 30.10.2017 अंतर्गत प्रकरण क्रमांक-2/अपील/2016-17 पारित द्वारा न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी महोदय एम.पी. नगर वृत भोपाल पक्षकारगण श्रीमति तुलसीबाई विरूद्ध ज्योति व अन्य</u>

XXXX(a)-BR (H)-10

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

(8)

आदेश पृष्ठ

भाग-अ

प्रकरण क्रमांक PBR/निग/अपी/भोपाल/4793

श्रीमति ज्योति मित्तल **विरुद्ध** श्रीमति तुलसीबाई

तहसील ...... जिला भोपाल

आयुक्त के कार्यालय का प्रकरण क्रमांक ...... जिलाध्यक्ष के कार्यालय का प्रकरण क्रमांक ......

अनुविभागीय पदाधिकारी के कार्यालय का प्रकरण क्रमांक ...... तहसील का प्रकरण क्रमांक ......

वाद का विषय ......

अधिनियम एवं धारा जिसके अन्तर्गत प्रकरण यहां प्रस्तुत हुआ है ......

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभावकों आदि के हस्ताक्षर
	आयुक्त संभाग / जिलाध्यक्ष, जिला ...... के मूल / अपीलीय आदेश दिनांक ...... के विरुद्ध श्री अतुल धारीवाल के अभिभावक द्वारा अपील/पुनरीक्षण/ पुनरावलोकन-पत्र प्रस्तुत किया गया जो पंजीबद्ध किया जा चुका है। पुनरावलोकन अवधि बाह्य है/नहीं है/मुद्रांक शुल्क पूर्ण है/....... रु. की कमी है। आदेश, जिसके विरुद्ध यह अपील/पुनरीक्षण/ पुनरावलोकन है, की प्रतिलिपि संलग्न है/ नहीं है। अपील / पुनरीक्षण / पुनरावलोकन की प्रतियां दी गई हैं / नहीं दी गई हैं। आव्हान शुल्क दे दिया है / नहीं दिया है। प्रस्तुतकार	30/11/17 [signature]
30.11.2017	आवेदकगण की ओर से श्री अतुल धारीवाल अभिभाषक उपस्थित। ग्राह्यता पर सुना गया। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 30.10.2017 का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि	[signature]

[पीछे देखिये

PBR/निग/रा.म./भोपाल/17/4793 [illegible]

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभावकों आदि के हस्ताक्षर
	अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण तहसीलदार को प्रत्यावर्तित किया गया, जबकि संहिता की धारा 44 में हुये संशोधन के फलस्वरूप अपीलीय प्राधिकारी को प्रकरण प्रत्यावर्तित करने की अधिकारिता नहीं रह गई है। अतः अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त किया जाकर निर्देश दिये जाते हैं कि उभय पक्ष को सुनकर प्रकरण को अपने स्तर से अंतिम निराकरण करें। अध्यक्ष	